भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 2590

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

सांविधिक नियमों के तहत वेतन नियतन

2590. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण सांविधिक नियमों अर्थात् केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 और मूल नियम 22(i)(क)(1) द्वारा शासित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 और 01.07.2016 के बीच संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति (एमएसीपी) योजना के अंतर्गत पदोन्नत किया गया था या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था, और जिन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 5 के अंतर्गत विकल्प चुना था, वे अपने वेतन के विनियमन के लिए एफआर 22(i)(क)(1) के सांविधिक परंतुक के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करने और अपनी अगली वेतन वृद्धि की तिथि अर्थात् दिनांक 01.07.2016 से 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स में बदलने के लिए पात्र हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): 1 जनवरी, 2016 को या उसके उपरांत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 और मूल नियमों (एफआर) द्वारा शासित होता है।

(ख) और (ग): ऐसे मामलों की जांच केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 5 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।
